मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

निजी अस्पतालों की अंधी लूट के शिकार बनते मरीज़ — 3

भारत की आर्थिक सुधारों की पूर्व पिठिका मीडिया और विज्ञान का भगवाकरण — 4

बलात्कार कब तक मोदी के 'अच्छे दिन' जनता के दुर्दिन — 6

मोदी राजा की बुलेट सवारी: जनता पर पड़ेगी बेहद भारी ईएसआईसी : सांसद दुष्यंत ने संसद में पूछे सवाल — 8

वर्ष 27 अंक 18 फरीदाबाद, शुक्रवार, 1-15 अगस्त 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

हुड्डा मूर्खमंडली का कारनामा

महामहिम से लिखवाया मुख्त्यारनामा

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं उनकी चापलूस मंडली का 10 वर्ष तक राज्य को लूटकर भी पेट नहीं भरा तो अब चला-चली की बेला में लूट की स्पीड इस कदर बढा दी कि रुकावाट बनने वाली संवैधानिक औपचारिकताओं को उठा कर ताक पर रखने के लिये मूर्खता की हद तक चले गये।

मज़दूर मोर्चा, चंडीगढ ब्यूरो

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को पूरा यकीन था कि राज्यपाल के पद पर जगन्नाथ पहाड़िया के बाद जो भी कोई नियुक्त होगा वह उनके इशारों पर नाचने वाला नहीं होगा। बल्कि मोदी सरकार जिसको भी नियुक्त करेगी वह आकर उनकी मुश्कें ही कसेगा। इसी के चलते हुड्डा साहब ने पहाड़िया से एक मुख्त्यारनामा लिखवा लिया कि उनके जाने के बाद वे राज्यपाल की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का वहन करते रहें।

मुख्यमंत्री एवं इनकी मूर्खमंडली की समझ पर तरस आता है कि इन्हें संविधान का इतना भी ज्ञान नहीं कि राज्यपाल इस तरह से कभी भी किसी भी हाल में ऐसा मुख्त्यारनामा किसी को नहीं दे सकता। यदि किसी वजह से राज्यपाल को अनुपस्थित होना होता है तो राष्ट्रपति द्वारा या तो किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है या फ़िर राज्य के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहां इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि 26 जुलाई को पहाड़िया का कार्यकाल समाप्त हुआ और 27 को प्रात:11 बजे नये राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली।

इसके बावजूद मुख्यमंत्री हुड्डा ने पहाड़िया के दिये हुए असंवैधानिक मुख्त्यारनामे का इस्तेमाल करते हुए 27 जुलाई को ही दिन के करीब एक बजे अपने निवास पर 3 सूचना आयुक्तों व 2 अन्य आयुक्तों रेखा रानी, शिव रमण गौड, सरबण सिंह, अमर सिंह व सुनील कत्याल को पद की शपथ दिला दी। राइट टू सर्विस आयोग के चेयरमैन पद की शपथ खुद मुख्य सचिव सतीश चन्द्र चौधरी लेना चाहते थे, लेकिन वह इस हबड़ा-दबड़ी में रह गये। ऐसा ही कुछ हाल खाद्य सुरक्षा आयुक्त पद की शपथ लेने वाले एक आई ए एस अफ़सर दुहन का भी रहा।

नियमानुसार इन नियुक्तियों की फ़ाइल प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव द्वारा चलाई जाती है। सचिव पद पर तैनात आई ए एस अधिकारी प्रदीप कासनी ने फ़ाइल पर स्पष्ट लिख दिया था कि राज्यपाल का काम तो राज्यपाल ही करेंगे, मुख्त्यारनामे से नहीं हो सकता। दूसरे जिन्हें शपथ दिलायी जानी होती है, उन्हें पहले नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है वह भी स्वयं राज्यपाल द्वारा। तीसरे ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता जो पहले से ही लाभ के किसी पद (नौकरी) पर तैनात हो। लगभग ये सभी लोग लाभ के पदों पर तैनात हैं।

खानापूर्ति के लिये कुछ उम्मीदवारों ने पिछली तारीखों में त्यागपत्र जरूर दिये दिखाये हैं, लेकिन वे मान्य नहीं होते। क्योंकि किसी भी आई ए एस एवं अन्य अफ़सर के सेवा से निवृत होने की एक तय शुदा प्रक्रिया है जिसके अनुसार राष्ट्रपति उसे अन्तिम स्वीकृति प्रदान करता है। उक्त अफ़सरों में से किसी ने भी इसे पूरा नहीं किया था, लिहाज़ा इनको शपथ नहीं दिलाई जा सकती थी। इन हालात में राज्य के मुख्य सचिव जो 31 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले हैं कैसे शपथ ग्रहण कर सकते थे।

जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री हुड्डा एवं उनके सलाहकारों की योजना चोरी-चोरी शपथग्रहण करा कर उसे पिछली किसी तारीख में दिखाने की थी। इसी लिये मुख्यमंत्री ने इसे अपने निवास पर आयोजित किया था। और इस अवसर पर पत्रकार तो क्या शपथग्रहण करने वालों के परिजन तक भी आमन्त्रित नहीं किये गये थे। जैसे-तैसे पत्रकारों को इसकी भनक लगी तो वे भी बिन बुलाये मेहमान की तरह मुख्यमंत्री निवास पहुंच गये जहां उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया। थोड़ी बहुत धक्का-मुक्की भी हुई। कुछ पत्रकारों ने इस बाबत जब मुख्य सचिव एस. सी. चौधरी को अवगत कराया तो उन्होंने उन्हें भीतर आने की इजाजत दी।

संदर्भवश पाठक जान लें कि उक्त जितने भी अफ़सरों को आगामी 5 साल के लिये सरकारी लूट की जो यह नौकरी दी गयी है, वे अपने सारे सेवाकाल में महानिकम्मे, निकृष्ट व भ्रष्टाचारी रहे हैं। इनमें कोई गुण रहा है तो वह मुख्यमंत्री की चापलूसी, जी हुजूरी एवं लूट खसूट में उनका मार्ग प्रशस्त करना रहा है। आयुक्तों के पदों पर तैनात होकर भी उन्होंने जनता का लहू पीने के अलावा और कुछ नहीं करना, जैसे कि आर टी आई एक्ट के तहत तैनात सूचना आयुक्त कर रहे हैं।

बौखलाये मुख्य सचिव ने पहले धमकी दी फ़िर माफ़ी मांगी

प्रदीप कासनी द्वारा फ़ाइल पर की गयी टिप्पणियों से बौखलाये मुख्य सचिव ने 27-28 की रात में एक बज कर बियालिस मिनट पर लगातार तीन एस. एम. एस. किये। इनमें से एक में कहा गया था कि जिनती तुम्हारी नौकरी बाकी बची है उसकी खैर मनाओ तथा प्रभु से दुआ करो कि ठीक से पूरी हो जाये। एक अन्य में कहा गया कि मां का दूध पीया है तो तमाम संदेशों को मीडिया में दिखा देना। जब कासनी ने पूरी कहानी के साथ ये सब मीडिया के हवाले कर दिये तो मुख्य सचिव इन सबको मजाक बताते हुए माफ़ी मांगने पर उतर आये।

दरअसल बौखलाहट का बड़ा कारण वह फ़ाइल थी जिसकी मांग मुख्य सचिव ने 26-27 की रात को 11 बजे कासनी से की थी। इसके लिये उन्होंने बाकायदा एक लिफ़ाफ़ा बंद पत्र कासनी को भेजा था। कासनी ने उन्हें बता दिया कि रात में दफ़्तर बंद रहता है तथा उनके पास रात में काम करने वाला कोई स्टाफ़ भी नहीं है। साथ ही उन्हें यह भी बता दिया कि वह फ़ाइल तो पहले से ही उनको भेज दी गयी थी। यह वही फ़ाइल है जिसमें खुद उनकी नियुक्ति बतौर चेयरमैन राइट टू सर्विस का मामला है।

प्रदेश में दस हज़ार करोड़ की सड़कें बनेंगी: गुर्जर

कौन से फंड से बनेगी यह भी जान लीजिये

फ़रीदाबाद (म.मो.) आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, दिनांक 27 जुलाई को सीकरी गांव की एक जनसभा में केन्द्रीय सड़क मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा भर में 10,000 करोड़ रुपये लागत की सड़कें बनाने के प्रस्ताव पास हो चुके हैं। जाहिर है राज्य की जनता पर इतना बड़ा 'एहसान' करने के पीछे उनका मकसद भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा सरीखी विजय दिलाना है।

राज्य की जागरूक जनता को यह भली-भांति समझ लेना चाहिये कि इस 'एहसान' की चौगुणी कीमत जनता से ही वसूली जायेगी। मंत्री ने अपने भाषण में यह कतई नहीं बताया कि ये सड़कें कितने समय में पूरी हो जायेंगी और पैसा कहां से आयेगा? लेकिन अब तक का अनुभव बता रहा है कि तमाम बन चुकी व बनने वाली सड़कें रिलांयस व सोमा जैसे ठेकेदारों को बेची जा चुकी हैं। ये ठेकेदार मनचाहे स्थानों पर टोल प्लाज़ा बना कर टोल के रूप में मनमानी वसूली करके करोड़ों रुपये रोज़ाना जनता से लूट रहे हैं। इस लूट का बड़ा हिस्सा राजनेताओं, बड़े अफ़सरशाहों व अपने तिजोरी में भरने के बाद कुछ पैसा सड़कों के निर्माण पर खर्च करते हैं। गुर्जर जिस 10,000 करोड़ खर्च की बात कर रहे हैं उसके बदले जनता से 40000 करोड़ की लूट इन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से कराई जा रही है। इसकी पुष्टि दिनांक 29 जुलाई के जयपुर हाई कोर्ट के एक आदेश से भी होती है जो 30 जुलाई के जागरण में छपा है।

इसी भाषण के दौरान गुर्जर ने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिये ज़िले के निवासियों से 1000 एकड़ भूमि खोजने की बात भी कही। विदित है कि एन. सी. आर. (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) पहले से ही विकसित होने की वजह से यहां ज़मीनें काफ़ी मंहगी हैं। ऐसे में जिन किसानों की ज़मीने सरकार द्वारा छीनी जायेंगी, वे चिल्लायेंगे। यदि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण मेवात, रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी, फ़तेहाबाद व सिरसा आदि ज़िलों के पिछड़े इलाकों में किया जाय तो क्या हर्ज है? इस बहाने उन क्षेत्रों का विकास भी होगा और ज़मीन भी एक चौथाई दामों में उपलब्ध हो जायेगी।

जनहित की नाटकबाज़ी करने वाले इन मन्त्री जी को अपने क्षेत्र के वे 5 लाख मज़दूर परिवार क्यों नज़र नहीं आते जिनके वेतन से ई एस आई सी प्रति माह साढे 6 प्रतिशत इलाज के नाम पर डकार लेती है? उन्हें समुचित इलाज की सुविधा दिलाने के नाम पर मन्त्री जी क्यों खामोश हैं?

ख़बर दार

कानून की धज्जियां उड़ायेंगे और सत्ता को हथियायेंगे

तनाव व दंगों से काटेंगे चुनावी फ़सल भरपूर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

मुरादाबाद का कस्बा कांठ फ़िलहाल भाजपाइयों के लिये सत्ता की प्रयोगशाला बना हुआ है। कांठ में 4 जुलाई को अचानक एक मन्दिर में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भाजपाईयों ने साम्प्रदायिक तनाव खड़ा कर दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुरादाबाद ज़िला प्रशासन के मन्दिर से लाउडस्पीकर उतरवाने को सही ठहरा दिया है। फ़िर भी भाजपाई तनाव खत्म नहीं होने दे रहे क्योंकि चुनावी वैतरणी में उनकी नाव साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की पतवार के सहारे ही पार लगनी है।

मसले को ज़िन्दा रखने के लिये भाजपा यह बहाना ले रही है कि अब उनका आन्दोलन मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये के ख़िलाफ़ है। भाजपा का यू पी पार्टी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी स्वयं एक सड़क छाप गुंडे के अंदाज़ में इस आन्दोलन की अगुवाई कर रहा है। उसकी सहायता में मुजफ़्फ़रनगर दंगों का कुख्यात भाजपाई विधायक एवं मुख्य अभियुक्त संगीत सोम भी पहुंचा हुआ है।

कानूनन, वाजपेयी और सोम के तनाव बढाने वाले जमावड़े को बलप्रयोग से समाप्त किया जाना चाहिये था। विशेषकर जब हाई कोर्ट ने भी ज़िला प्रशासन द्वारा लगाई गयी धारा 144 को सही ठहरा दिया। देश की और खासतौर पर यू पी की पुलिस आम जनता पर बेवजह भी लाठी भांजने के लिये जानी जाती है।

वाजपेयी और सोम जिस अंदाज़ में ज़िला प्रशासन और विशेष कर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर को सार्वजनिक रूप से देख लेने की धमकियां दे रहे हैं, वह निंदनीय ही नहीं आपराधिक कृत्य भी है। कांठ में साम्प्रदायिक तनाव के चलते लगी धारा 144 और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ग़ैरकानूनी एवं उत्तेजित भीड़ के साथ हिंसक आव-भाव चमका रहा है। सोम भी यही सब करने की धमकी दे रहा है।

कानूनन, वाजपेयी और सोम के तनाव बढाने वाले जमावड़े को बलप्रयोग से समाप्त किया जाना चाहिये था। विशेषकर जब हाई कोर्ट ने भी ज़िला प्रशासन द्वारा लगाई गयी धारा 144 को सही ठहरा दिया। देश की और खासतौर पर यू पी की पुलिस आम जनता पर बेवजह भी लाठी भांजने के लिये जानी जाती है। कांठ में तनाव बढाने में वाजपेयी व सोम की भूमिका को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही न करना अपने लिये और अधिक परेशानियों को दावत देने के समान है। मुजफ़्फ़रनगर में भी बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही न करके साम्प्रदायिक दंगों को खुलकर होने दिया गया था। कहीं मुरादाबाद के लोग़ों को भी प्रशासनिक निष्क्रियता का खामियाज़ा उसी तरह न भुगतना पड़े जैसे मुजफ़्फ़रनगर के लोग़ों ने भुगता था।

मुरादाबाद प्रशासन और पुलिस की इस बात के लिये प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी की गीदड़भभकियों के आगे घुटने नहीं टेके। पर यह भी जरूरी है कि वे इन गीदड़ों का सही इलाज जल्द से जल्द करें।

गुरुद्वारा प्रबन्धन की नहीं, लड़ाई है धन व सत्ता की

1984 में सिखों का कत्लेआम करवाने वाली कांग्रेस अब यह दिखाना चाहती है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सिखों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर कौन नहीं जानता कि अपने प्यादों को चढावे में हिस्सा देकर वे आगामी विधान सभा चुनाव में सिखों के वोट (8 प्रतिशत) पक्के करना चाहते हैं। हरियाणा गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक्ट 2014 आनन-फ़ानन में विधानसभा से पास कराया गया और जाते-जाते कांग्रेसी राज्यपाल की मुहर लगवा ली गयी। डर था कि नया आने वाला भाजपाई राज्यपाल पंजाब के बादल की धौंस में शायद ही एक्ट पर दस्तखत करे।

उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा के लिये अलग गुरूद्वारा कमेटी को सिखों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप का मुद्दा बना दिया है। जाहिर है केन्द्र की मोदी सरकार को तुर्त-फुर्त में बादल की 'सहायता' में उतरना पड़ा और केन्द्रीय गृह मंत्रायलय ने हरियाणा के राज्यपाल को एक्ट को दी गयी स्वीकृति वापस करने का निर्देश जारी कर दिया। अन्यथा कमजोरीलाल माने जाने वाले हुड्डा भी अड़ गये हैं क्योंकि इसी में उनका राजनीतिक फ़ायदा है।

जहां बादल की चिंता हरियाणा के सिख वोट-बैंक से हाथ धोने और वहां के गुरूद्वारों से होने वाली सैंकड़ों करोड़ की आमदनी से वंचित होने की है, वहीं मोदी और भाजपा की चिंता हरियाणा विधान सभा के चुनाव को लेकर है। उन्हें डर है कि यदि 8 प्रतिशत सिख वोट बादल के चंगुल से निकल कर हुड्डा के कांग्रेसी पाले में चले गये तो उनकी चुनावी हालत काफ़ी पतली हो सकती है।

क्या हरियाणा में भाजपाई राज्यपाल आने के बाद वह इस एक्ट से अपनी स्वीकृति वापस ले लेगा? उसका आसान तर्क होगा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों को मानना उसके लिये जरूरी है। संविधान में इस तरह से स्वीकृति वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में यदि संवैधानिक संकट खड़ा होता है तो यह गतिरोध हुड्डा के पक्ष में ही जायेगा। कहीं अगर ग़लती से मोदी ने हुड्डा सरकार को बर्खास्त कर दिया तो बैठे-बिठाये हुड्डा साहब हीरो अलग से बन जायेंगे। दस वर्ष के कुशासन का कलंक धोने में क्या यह एक्ट भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के लिये 'सर्फ़ एक्सल' साबित होगा? आज मतदाता इतना जागरूक है कि लगता नहीं वह हुड्डा की कततूतों को इतनी आसानी से भुला देगा?

-आनंद कुमार